कट्टा सुरेंद्र

बनाम

आन्ध्रप्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील सं. 1525/2007)

13 जून, 2008

[डॉ. अरिजीत पासायत और पी. पी. नावलेकर, न्यायाधिपतिगण]

दंड संहिता, 1860:

धारा 302 और 304 (भाग I)-हत्या-पक्षों के बीच विवाद -मृतक पर घातक वार हुआ-धारा 302 के तहत निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि करते हुए आजीवन कारावास-अभियुक्त का मामला कि वह निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा था - अभिनिर्धारित कि यह मान्य नहीं है-भले ही अभियुक्त का आधार स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन यह अभियुक्त द्वारा किए गए प्रहार से बहुत पहले ही समाप्त हो गया था -यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 302 का अपराध नहीं बनता, क्योंकि एकल वार कारित किया गया था। यह कई कारकों पर निर्भर करता है-तथ्यों पर, दोषसिद्धि को धारा 304 (भाग 1) में बदल दिया गया-10 साल की हिरासत की सजा दी गई।

धाराएं 96-101 - निजी प्रतिरक्षा का अधिकार-उपलब्धता और सीमा-अधिकार की शुरुआत और निरंतरता बताई गई है।

सड़क बनाने को लेकर दो गांवों के लोगों के बीच विवाद हो गया। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, आरोपी व्यक्ति हथियारों और बैग, जिसमें बम और लाठियां थीं, से लैस होकर उस स्थान पर गए जहां डी-1, डी-2 और अन्य काम कर रहे थे और उन पर

हमला कर दिया। A-13 और A-2 ने बम फेंके और A-13 का बम फट गया। ए-1 ने डी-1 पर खंजर से वार किया और वह घायल हो गया। A-2 और A-4 ने D-2 पर हमला कर दिया। अन्य आरोपियों ने हमला कर दिया। ए-1 ने डी-1 पर खंजर से वार किया और वह घायल हो गया। A-2 और A-4 ने D-2 पर हमला कर दिया। अन्य आरोपियों ने अभियोजन पक्ष के गवाहों पर हमला किया। शिकायत दर्ज कराई गई। जांच-पड़ताल की गई। ट्रायल कोर्ट ने ए-1 को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा दी। चार आरोपियों को आईपीसी की धारा 324 के तहत दोषी ठहराया गया और 3 साल की सजा सुनाई गई। अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। अपील दायर की गई। ए-1 ने अनुरोध किया कि उसने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया और चूंकि एक ही प्रहार किया गया था, इसलिए अपराध आईपीसी की धारा 302 के तहत नहीं बनता था और अपराध को आईपीसी की धारा 304 भाग II में बदल दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार नहीं की और ए-1 की सजा बरकरार रखी, इसलिए वर्तमान अपील पेश की गई है।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया: 1.1. निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की दलील अनुमानों और अटकलों पर आधारित नहीं हो सकती। इस बात पर विचार करते समय कि क्या निजी प्रतिरक्षा का अधिकार किसी अभियुक्त को उपलब्ध है, यह प्रासंगिक नहीं है कि क्या उसके पास हमलावर को गंभीर और घातक चोट पहुंचाने का मौका हो सकता है। यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी अभियुक्त को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है, पूरी घटना की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और उचित हालत में देखा जाना चाहिए। आईपीसी की धारा 97 निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की विषय-वस्तु से संबंधित है। निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की दलील में (i) अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का, या (ii) किसी

अन्य व्यक्ति का शरीर या संपत्ति शामिल है और अधिकार का प्रयोग शरीर के विरुद्ध किसी भी अपराध के मामले में और चोरी, डकैती, रिष्टि या आपराधिक अतिचार के अपराधों और संपत्ति के संबंध में ऐसे अपराधों के प्रयासों के मामले में किया जा सकता है। धारा 99 निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमाएँ निर्धारित करती है। धारा 96 और 98 कुछ अपराधों और कृत्यों के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार देती हैं। धारा 96 से 98 और 100 से 106 के तहत दिया गया अधिकार धारा 99 द्वारा नियंत्रित होता है। मौत के स्वैच्छिक कारण तक विस्तारित निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा करने के लिए अभियुक्त को यह दिखाना होगा कि ऐसी परिस्थितियां थीं जो इस आशंका के लिए उचित आधार पैदा कर रही थीं कि उसे या तो मौत दी जाएगी या गंभीर चोट पहुंचाई जाएगी। अभियुक्त पर यह दिखाने का भार है कि उसे निजी प्रतिरक्षा का अधिकार था, जो मौत का कारण बनने तक विस्तारित था। धारा 100 और 101 आईपीसी क्रमशःनिजी प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमा और शरीर और संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की निरंतरता को परिभाषित करती है। अधिकार तब शुरू होता है जब किसी प्रयास या अपराध करने की धमकी से शरीर को खतरे की उचित आशंका उत्पन्न होती है, भले ही अपराध नहीं किया गया हो, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि उचित आशंका न हो। अधिकार तब तक कायम रहता है जब तक शरीर को खतरे की उचित आशंका बनी रहती है। जैसे ही उचित आशंका गायब हो जाती है और खतरा समाप्त हो जाता है या खतरा नष्ट कर दिया गया है या क्रम में डाल दिया गया है, तो हो सकता है निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं होगा।

[Para 10] [1195- G & H; 1196-A, B, C, D, E & F]

जयदेव बनाम पंजाब राज्य 1963 (3) SCC 489;

राजपाल बनाम पंजाब व हरियाणा राज्य 2006(9) SCC 678

1.2. मौजूदा मामले में, भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि किसी समय अपीलकर्ता निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा था, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा प्रहार किए जाने से बहुत पहले ही यह समाप्त हो चुका था। इसे सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब भी एक प्रहार किया जाता है तो धारा 302 आईपीसी के आवेदन को खारिज कर दिया जाता है। यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। तत्काल मामले की परिस्थितियों में, दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 भाग I के तहत बदल दिया जाता है। दस साल की हिरासत की सजा न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगी। [Paras 12, 13 and 14] [1196-G & H; 1197-A & B]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की आपराधिक अपील संख्या 1525

क्रिमिनल अपील क्रमांक 1015/2005 में हैदराबाद में स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 20.7.2006 से।

ए.टी.एम. रंगरामानुजम, अनु गुप्ता, बनाम श्रीधर रेड्डी और रानी जेठमलानी, अपीलकर्ता की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से डी. भारती रेड्डी।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधिपति द्वारा पारित किया गया।

1. इस अपील में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा गया है। जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, उच्च न्यायालय ने 20 जुलाई, 2006 के फैसले से अपील खारिज कर दी। आईपीसी की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अन्य

अपीलकर्ताओं की सजा को बरकरार रखते हुए, हिरासत की सजा तीन साल से घटाकर एक साल कर दी गई, जुर्माना राशि बरकरार रखी गई। दो व्यक्तियों, अर्थात् एम. सुब्बारायप्पा और वाई. रामप्पा (बाद में क्रमशः डी-1 और डी-2 के रूप में संदर्भित) ने 9.3.2002 को अपनी जान गंवा दी। आरोप था कि अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त व्यक्ति उनकी मौत के लिए जिम्मेदार थे।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

मृतक और महत्वपूर्ण गवाहान चिन्नवेंकटरमनगरी पाले के निवासी हैं और आरोपी कम्मावारिपल्ले के निवासी हैं। 2001 में एमपीटीसी चुनाव के समय से ही दोनों ग्रामीणों के बीच विवाद चल रहा था। चूँकि चिन्नवेंकटरमनगरी गाँव तक पहुँचने के लिए कोई सड़क सुविधा नहीं थी, मृतक और महत्वपूर्ण गवाहान अपने गाँव को मुलकलाचेरुवु से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की कोशिश कर रहे थे। घटना से लगभग छह महीने पहले, उन्होंने सड़क बनाने के लिए पीडब्लू-16 से एक जमीन पीडब्लू-5 के नाम पर और दूसरी जमीन खरीदी थी। उक्त खरीद के खिलाफ, कम्मावारिपल्ले के ग्रामीणों ने एक मुकदमा दायर किया और प्रतिवादियों को सड़क बनाने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा का आदेश मांगा और मुकदमे का नतीजा चिन्नवेंकट्रामंगारिपल्ली गांव के ग्रामीणों के पक्ष में गया। दिनांक 8.3.2002 को यह जानकारी मिलने पर कि ग्रामीण सड़क बनाने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस उपनिरीक्षक (पीडब्लू-31) ने दोनों ग्रामीणों को बुलाया और उन्हें एक सप्ताह तक इंतजार करने की सलाह दी क्योंकि मामला लंबित था। इसके बावजूद दिनांक 9.3.2002 को ग्रामीणों ने सड़क बनाना शुरू कर दिया। पीडब्लू-5 और एक अन्य, जिनके नाम पर जमीन खरीदी गई थी, ने पीडब्लू-31 से पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, जिस पर पीडब्लू -31 ने तुरंत पीडब्लू 17 को उसके साथ भेजा और पीडब्लू-18 और तीन अन्य कांस्टेबलों को भी घटनास्थल पर भेजा। इसके बाद, पीडब्लू-5 और पीडब्लू 17 ने जाकर

ग्रामीणों को काम रोकने की सूचना दी, क्योंकि किसी घटना की संभावना थी। जब वे खड़े थे, तो सभी आरोपी हंसिया, चाकू, खंजर, बम और लाठियों से भरे बैग से लैस होकर उनके पास चिल्लाते हुए पहुंचे कि उन्होंने सड़क बनाने की हिम्मत कैसे की और वे अपना अंत देखेंगे। इतना कहकर आरोपियों ने अभियोजन पक्ष पर हमला कर दिया। A-13 ने एक बम फेंका, जो फट गया और A-2 ने भी एक बम फेंका जो ज़मीन पर गिरा, लेकिन फटा नहीं। बम फटने से उन सभी ने भागने की कोशिश की. A1 ने मृतक नंबर I की बायीं छाती पर खंजर से वार किया, जिससे वह गिर गया और चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर A-2 से A-4 ने मृतक नंबर 2 पर हमला किया। तुरंत, ए-2, ए-4 से ए-11, ए-13 से ए-18, ए-19 से ए-24, ए-30 और ए-32 ने पीडब्ल्यू 1 से 11 पर हमला किया। पीडब्लू-1 द्वारा दी गई शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी । जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।

3. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए पीडब्लू 1 से 33 तक को परीक्षित कराया और प्रदर्श पी 1 से प्रदर्श पी 35 एवं एम.ओ.एस. 1 से 25 को चिह्नित किया और बचाव पक्ष की ओर से डीडब्ल्यू 1 एवं डीडब्ल्यू 2 को परीक्षित कराया एवं प्रदर्श डी-1 से डी-65 को चिन्हित कराया गया और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभास चिह्नित किए गए। अन्वीक्षा न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद ए-1 को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास और जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। 2,000/- का जुर्माना न भरने पर तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। ए 7, ए 9, ए 11 और ए-17 को आईपीसी की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और प्रत्येक को तीन साल के लिए कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई, अन्यथा सभी

आरोपियों को दो महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी अभियुक्तगण को अन्य सभी अपराधों में बरी कर दिया गया। अपीलकर्ता और तीन दोषी अभियुक्तों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले से व्यथित होकर इसकी वैधता और वैधानिकता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।

4. अभियोजन पक्ष का आरोप था कि ए-1 ने मृतक नंबर 1 पर खंजर से वार कर उसकी हत्या कर दी। ए-7, ए-9, ए-11 और ए-17 को धारा 324 आई.पी.सी. के तहत गवाहों को चोट पहुंचाने के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।

5. अभियुक्त ने दलील दी कि सड़क बनाने के विवाद के सिलसिले में भीड़ द्वारा पथराव किया गया था, इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल है कि किसने किसको पीटा और किसने उस पर पत्थर फेंके और नहीं । अपीलकर्ताओं को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराना उचित नहीं है और उन्हें संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए और निचली अदालत के फैसले को रद्द करना चाहिए।

6. उच्च न्यायालय ने पाया कि जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, आरोप स्पष्ट रूप से साबित किया गया था और उसने इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि चूंकि एक ही प्रहार किया गया था, इसलिए यह अपराध आईपीसी की धारा 302 के तहत कवर नहीं होता हो और इसे धारा 304 भाग 2 आईपीसी में बदला जाना चाहिए था।

7. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा घटना की पृष्ठभूमि के तथ्यों का सही ढंग से विश्लेषण नहीं किया गया है। यह माना जाना चाहिए था कि अपीलकर्ता निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा था।

8. अपीलकर्ता के अनुसार भले ही अभियोजन पक्ष के बयान को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए किन्तु वह निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा था और इसलिए कोई अपराध नहीं हुआ।

9. दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मामला स्पष्ट रूप से आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत आता है। अभियुक्त-अपीलकर्ता समूह का नेता था और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि वह अपने साथ चाकू क्यों ले जा रहा था जब तक कि उसके पास मृतक नंबर 1 की हत्या करने का अपेक्षित इरादा नहीं था। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की दलील स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

10. निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की दलील अनुमानों और अटकलों पर आधारित नहीं हो सकती। इस बात पर विचार करते समय कि क्या निजी प्रतिरक्षा का अधिकार किसी अभियुक्त को उपलब्ध है, यह प्रासंगिक नहीं है कि क्या उसके पास हमलावर को गंभीर और घातक चोट पहुंचाने का मौका हो सकता है। यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी आरोपी को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है, पूरी घटना की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और उचित क्रम में देखा जाना चाहिए। आईपीसी की धारा 97 निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की विषय-वस्तु से संबंधित है। निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की दलील में अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का शरीर या संपत्ति (i), या किसी अन्य व्यक्ति का (ii) शामिल है; और अधिकार का प्रयोग शरीर के विरुद्ध किसी भी अपराध के मामले में और चोरी, डकैती के अपराध के मामले में किया जा सकता है। रिश्टी या आपराधिक अतिचार, और संपत्ति के संबंध में ऐसे अपराधों का प्रयास। धारा 99 निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमाएँ निर्धारित करती है। धारा 96 और 98 कुछ अपराधों और कृत्यों के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार देते हैं। धारा 96 से 98 और 100 से 106 के तहत दिया गया अधिकार धारा 99

द्वारा नियंत्रित होता है। स्वैच्छिक मृत्यु कारित करने तक विस्तारित निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा करने के लिए अभियुक्त को यह दिखाना होगा कि ऐसी परिस्थितियाँ थीं जो इस आशंका के लिए उचित आधार पैदा कर रही थीं कि या तो उसे मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाई जाएगी। यह दिखाने का दायित्व अभियुक्त पर है कि उसके पास निजी बचाव का अधिकार था जो मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित था। धारा 100 और 101 आईपीसी क्रमशःनिजी प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमा और संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार की निरंतरता को परिभाषित करती है। अधिकार तब प्रारम्भ होता है जैसे ही अपराध करने के प्रयास या धमकी से शरीर के लिए खतरे की उचित आशंका उत्पन्न होती है, हालांकि अपराध नहीं किया गया हो सकता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि उचित आशंका न हो। अधिकार तब तक कायम रहता है जब तक शरीर को खतरे की उचित आशंका बनी रहती है। जय देव बनाम पंजाब राज्य (1963 (3) एससीसी 489) में यह देखा गया कि जैसे ही उचित आशंका का कारण खत्म हो जाता है और खतरा या तो नष्ट हो गया है या हटा दिया गया है, तो निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं हो सकता है।

11. उपरोक्त स्थिति को राज पाल बनाम हरियाणा राज्य (2006(9) एससीसी 678) में भी माना गया था।

12. वर्तमान मामले में भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि किसी समय अपीलकर्ता निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा था, अपीलकर्ता द्वारा प्रहार किए जाने से बहुत पहले ही यह समाप्त हो गया था।

13. यह सार्वभौमिक रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब भी एक ही प्रहार किया जाता है तो धारा 302 आईपीसी के अपराध के गठन को खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह कई कारकों पर निर्भर करता है।

14. वर्तमान मामले की परिस्थितियों में दोषसिद्धि को तदनुसार परिवर्तित कर धारा 304 भाग I में दोषसिद्धि करते हुए दस साल के हिरासत की सजा से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

15. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी चन्द्रशेखर शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।